मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

खण्ड XV | अंक 8 | फरवरी 2020

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	वित्तीय बाज़ार परिचालन	1
II.	मौद्रिक नीति	2
III.	विनियमन	2
IV.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
V.	वित्तीय समावेशन	4
VI.	जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका फरवरी माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. वित्तीय बाजार परिचालन

दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2020 को पॉलिसी रेपो दर पर ₹ 1,00,000 करोड़ की कुल राशि के लिए एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) आयोजित किए। एलटीआरओ के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निम्नानुसार होंगे:

i. इस योजना के तहत आयोजित एलटीआरओ मौजूदा एलएएफ और एमएसएफ परिचालन के अतिरिक्त होंगे।
ii. इन परिचालनों के माध्यम से प्राप्त होने वाली तरलता की कुल राशि ₹ 1,00,000 करोड़ तक होगी।
iii. एलटीआरओ सीबीएस (ई-कुबेर) प्लेटफॉर्म पर एक निश्चित दर पर आयोजित किए जाएंगे।
iv. बैंकों को प्रचलित नीति रेपो दर पर विंडो समय के दौरान एलटीआरओ के तहत मांगी गई राशि के लिए अपने अनुरोधों को प्रस्तुत करना होगा। नीतिगत दर से नीचे या उससे ऊपर की बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
v. अधिसूचित राशि से अधिक अंशदान के मामले में, आवंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
vi. हालांकि, राउंडिंग प्रभावों के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में मामूली अधिक राशि आबंटित करने का अधिकार रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित होगा।
vii. पात्र संपार्श्विक सहित एलएएफ परिचालनों पर लागू होने वाले अन्य सभी नियम और शर्तें, एलटीआरओ के लिए लागू होंगे ।

इससे पहले, 06 फरवरी 2020 को छठें द्विमासिक नीति वक्तव्य के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 फरवरी 2020 को तरलता प्रबंधन ढांचे को संशोधित किया था। संशोधित तरलता प्रबंधन ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक तरलता सुविधाओं में निम्नलिखित साधन शामिल हैं:

क) 14-दिवसीय परिवर्तनीय-दर रेपो / रिवर्स रेपो नीलामी (मुख्य परिचालन)

i) परिवर्तनीय दर मियादी रेपो / रिवर्स रेपो नीलामी (अवधि: ओवरनाईट और 13 दिनों तक) (फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन)
ii) स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो
iii) सीमांत स्थायी सुविधा
iv) एफएक्स स्वैप नीलामी
v) स्थायी जमा सुविधा

ख) स्थायी तरलता का प्रबंधन करने के लिए साधन

i) दीर्घावधि दर रिपो (एलटीआर) 14 दिनों से अधिक अवधि
ii) दीर्घावधि परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (एलटीआरआर) 14 दिनों से अधिक अवधि
iii) एफएक्स स्वैप नीलामी
iv) ओपन मार्केट परिचालन (ओएमओ)

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

स्पष्टीकरण / पूछे जाने वाले प्रश्न

रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2020 को इस संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एलटीआरओ पर स्पष्टीकरण / अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए। एफएक्यू को यहां क्लिक करके पढ़ा जा सकता है।

II. मौद्रिक नीति

छठा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति संकल्प, 2019-20

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 6 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगे। एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है, जब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, उदार रुख बरकरार रखा जाए। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक एवं विनियामक नीति वक्तव्य

i) सभी नए अस्थायी दर वैयक्तिक या खुदरा ऋण तथा बैंकों द्वारा माइक्रो और लघु उद्यमों(एमएसई) को प्रदान अस्थायी दर ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना। इस आशय का परिपत्र 26 फरवरी 2020 को जारी किया गया;

ii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से रिज़र्व बैंक में आवास वित्त कंपनी (एचएफ़सी) के नियमन का अंतरण, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक अपनी वेबसाइट पर संशोधित विनियमों को रखेगा ;

iii) सभी गैर-निवासी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, अपतटीय बाजार में घरेलू बाजार निर्माताओं की भूमिका को बढ़ाने, पारदर्शिता में सुधार करने और बेहतर विनियामक जिम्मेदारी हासिल करने के लिए भारत में बाजार निर्माताओं और उनके वैश्विक स्तर पर संबंधित संस्थाओं के सभी रुपये ब्याज दर व्युत्पन्न (आईआरडी) लेन-देन जिम्मेदार हैं;

iv) गैर-केंद्रीय रूप से मंजूर व्युत्पन्न (एनसीसीडीएस) के लिए भिन्नता मार्जिन (वीएम) के आदान-प्रदान के बारे में रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देश जारी करेगा।

v) केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री (पीडीओ-एनडीएस प्रणाली) को संशोधित करेगा, ताकि घटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों में घटक संबंधी ब्योरा शामिल किया जा सके जिससे सरकारी प्रतिभूतियों की अंतर परिचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा सके;

vi) भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। रिज़र्व बैंक भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार को प्रभावी ढंग से करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण और आवधिक रूप से प्रकाशित करेगा;

vii) रिज़र्व बैंक अन्य के साथ सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और मूल्य निर्धारण की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 तक डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा;

viii) देश के प्रमुख समाशोधन गृहों में सीटीएस परिचालनों द्वारा प्राप्त प्रचुर दक्षता को देखते हुए रिज़र्व बैंक सितंबर 2020 तक एक पैन इंडिया चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) परिचालित करेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

III. विनियमन

व्यापार प्राप्ति हेतु कारोबार दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 06 फरवरी 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को आधार पे - भीम ऐप और पीओएस टर्मिनलों का उपयोग करके व्यापार प्राप्त बैंक (एमएबी) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। एमएबी (आधार और भीम ऐप) के रूप में कार्य करने के इच्छुक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नीचे सूचीबद्ध शर्तों को पूरा करने के बाद अपने स्वयं के उपकरणों को तैनात करने की अनुमति दी जाएगी:

i) आरआरबी के पास रिज़र्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग की अनुमति होनी चाहिए;

ii) इसके अतिरिक्त, आरआरबी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :

क) इस बात की पुष्टि करने के लिए कि सिस्टम पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, बैंक की आईटी प्रणाली और सीबीएस का, आवेदन की तारीख से छह महीने पूर्व आईएस लेखा परीक्षा किया जाना चाहिए।

ख) बैंक को आवेदन संबंधी विकास, लेन देन की सुरक्षा और ग्राहक की शिकायत से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना चाहिए।

ग) बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत एक ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए;

घ) कार्ड लेन-देन के लिए बैंक के पास व्यापारी अधिग्रहण पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए;

ङ) जमा स्वीकार /आहरण करने के लिए बैंक पर रिज़र्व बैंक का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में कोई दंड नहीं लगाया होना चाहिए। आरआरबी, एमएबी के संचालन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर, रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करेगा। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

आईआरएसी एवं प्रावधानीकरण मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2020 को गैर-अवसंरचना और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) के स्थगन के दिशानिर्देशों को संशोधित किया। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार:

i) डीसीसीओ की तारीख में संशोधनों तथा समान या अल्प अवधि के लिए चुकौती अनुसूची में परिणामी बदलाव (संशोधित चुकौती अनुसूची की शुरुआत की तारीख और अंतिम तारीख सहित) को पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा बशर्ते कि:

क) संशोधित डीसीसीओ, सीआरओ परियोजनाओं के लिए वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के भीतर आता है; तथा

ख) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ii) प्रवर्तकों के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से सीआरई परियोजनाओं में विलंब होने की स्थिति में बैंकों द्वारा डीसीसीओ के संशोधन के माध्यम से एक और वर्ष तक (अनुच्छेद 1(ए) में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के अतिरिक्त) उनकी पुनर्रचना की जा सकती है और यदि खाता पुनर्रचना के तहत संशोधित नियमों और शर्तों के

अनुसार जारी रखा गया है, तो उसे मानक आस्ति वर्गीकरण के रूप में बनाए रखा जाए।

iii) बैंकों द्वारा इस तरह के सीआरई परियोजना के ऋणों की पुनर्रचना करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित चुकौती समय-सारणी की अवधि केवल डीसीसीओ में विस्तार के समतुल्य या उससे कम अवधि तक ही विस्तारित हो।

iv) किसी परियोजना के ऋण को वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है (90 दिन का अतिदेय)। यह भी पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उक्त (ii) के अनुसार वितरण इस शर्त के अधीन है कि पुनर्रचना के लिए आवेदन ऊपर (i) (ए) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पहले और वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता मानक होने के दौरान प्राप्त किया जाना चाहिए।

v) डीसीसीओ के विस्तार (उक्त (i) और (ii) सीमा के अधीन) के कारण होने वाली लागत से अधिक धनराशि के खर्च के लिए बैंक निधि दे सकते हैं, बशर्ते वह रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन हो।

vi) डीसीसीओ के विस्तार के समय, बैंकों के निदेशक मंडल को परियोजना की व्यवहार्यता और पुनर्रचना योजना के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए।

vii) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए लागू पुनर्रचना, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानों से संबंधित अन्य सभी पहलू निरंतर लागू रहेंगे।

viii) बैंक भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र अग्रिमों की पुनर्रचना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2020 को बैंकों को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के वर्तमान ऋणों को, आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना एकबारगी पुनर्रचित करने की अनुमति दी है, जो निम्न शर्तों के अधीन है:

i) बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को, गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोज़र, 01 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार, ₹ 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

ii) उधारकर्ता का खाता 01 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार चूक में है लेकिन 'मानक आस्ति' है, और पुनर्रचना के कार्यान्वित होने की तिथि तक उसे 'मानक आस्ति' के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना जारी रहता है।

iii) उधारकर्ता खाते की पुनर्रचना 31 दिसंबर 2020 को या उसके पहले कार्यान्वित हो जाए।

iv) उधारकर्ता संस्था पुनर्रचना के कार्यान्वित होने की तिथि को जीएसटी पंजीकृत है। तथापि यह शर्त जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी। इसे 1 जनवरी 2020 तक प्राप्त होने वाली छूट की सीमा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सीआरआर के रखरखाव से छूट

रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति के सुलभ संचरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया कि वे पांच साल की अवधि के लिए गृह, ऑटो और एमएसएमई ऋण पर अनिवार्य नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखने के लिए छूट का लाभ उठाएं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे 14 फरवरी 2020 के एनडीटीएल से इस तरह की पहली कटौती का दावा कर सकते हैं, जो कि उल्लिखित क्षेत्रों को दिए गए वृद्धिशील ऋण के बराबर राशि के लिए इंगित किया गया है, जो कि 31 जनवरी 2020 को समाप्त हुए पखवाड़े के अंत में क्रेडिट के बकाया स्तर से अधिक है। दिनांक 1 जुलाई 2015 के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)पर मास्टर परिपत्र की धारा-42 रिटर्न में छूट/अन्य के तहत एक पखवाड़े के अंत में प्राप्त छूट की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2020 को बैंकों से प्राप्त प्रश्नों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में स्पष्टीकरण जारी किए, जिसमें वृद्धिशील ऋण की गणना और छूट के लिए पात्र खंड जैसे मुद्दे शामिल थे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020

रिज़र्व बैंक ने 10 से 14 फरवरी 2020 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) 2020 मनाया। वर्तमान एफ़एलडबल्यू के लिए चयनित विषय 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (एमएसएमई) है क्योंकि एमएसएमई रोजगार सृजन, नवाचार, निर्यात और समावेशी विकास में उनके योगदान के अनुसार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह समारोह के दौरान, बैंकों को शाखा परिसर, एटीएम, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और उनकी वेबसाइटों में जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में पोस्टर प्रदर्शित करने हेतु सूचित किया गया था। चार विषयों पर पोस्टर के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण, नामतः, i) संपार्श्विक मुक्त ऋण, ii) व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस), iii) औपचारिकता और iv) ऋणों का समय पर चुकौती, बैंकों को उनकी वेबसाइट और ए.टी.एम. पर अपलोड करने के लिए प्रदान किया गया। सूचना हेतु रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए। पोस्टर के विषय पर चार फिल्में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर जन मीडिया अभियान के तहत प्रसारित की जा रही हैं। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण आस्थापनाओं ने एफ़एलडबल्यू के विषय पर जागरूकता अभियान चलाया। सभी चार पोस्टर देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

डीआईसीजीसी ने बीमा कवरेज को बढ़ा दिया

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने 04 फरवरी 2020 से बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर की सीमा को ₹ 1 लाख के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर ₹ 5 लाख प्रति जमाकर्ता कर दिया । बैंक जमाकर्ताओं को सुरक्षा के बेहतर उपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य और भारत सरकार के अनुमोदन से यह कदम उठाया गया।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों का उपयोग करते हुए नकद आहरण

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2020 को बैंकों को पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर नकद आहरण की सुविधा देने के लिए संबंधित बैंकों के बोर्ड की स्वीकृति के साथ अनुमति दी। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक को डेटा / रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधान सहित अन्य सभी प्रावधान यथावत जारी रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय समावेशन

एमएसएमई के लिए ब्याज सहायता योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2020 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रमुखों को ब्याज सहायता योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में सूचित किया। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

VI. जारी आंकड़े

फरवरी 2020 माह के जारी आंकड़े इस प्रकार हैं:

जारी आंकड़े	जारी करने की तारीख
वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े	03 फरवरी
पूर्वानुमान सर्वेक्षण के परिणाम	06 फरवरी
दिसंबर 2019 के लिए ईसीबी/एफ़सीसीबी/आरडीबी पर आंकड़े	06 फरवरी
जनवरी 2020 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)	10 फरवरी
31 जनवरी 2020 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति	12 फरवरी
भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार पर आंकड़े	14 फरवरी

केसीसी के माध्यम से आईएसएस और पीआरआई के लिए पात्र अल्पावधि फसल

रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2020 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रमुखों को सूचित किया कि वे ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीसीआई) सुविधा के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों को दिनांक 1 अप्रैल 2020 से केवल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

नकद से इलेक्ट्रॉनिक तक डिजिटलीकरण की प्रगति

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने नकद से इलेक्ट्रॉनिक तक डिजिटलीकरण की प्रगति पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया। अध्ययन ने दुनिया भर में लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों की जांच की जो नकद भुगतान के लिए नकदी और प्रॉक्सी के उपयोग को निरूपित करते हैं। अध्ययन में भारत में नकदी से डिजिटल भुगतान के लिए बदलाव का पता लगाने के लिए भुगतान प्रणाली के लिए नकदी के उपायों, पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के उपायों का विश्लेषण किया गया है। यह उन देशों के साथ एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है जो समान पंचवर्षीय अवधि में भुगतान और बाज़ार अवसंरचना पर समिति का हिस्सा हैं। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि:

i) नकदी और गैर-नकद भुगतान लिखत दोनों ही विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जब तक ये आवश्यकताएं नहीं बदलतीं, तब तक उपयोगकर्ता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों प्रकार के भुगतान लिखतों की आवश्यकता होती है।

ii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धतियों की सेवाएं भारत की विषम आर्थिक संरचना से बाध्य होती हैं। आभासी भुगतान की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन देश की विशिष्ट संस्कृति और आर्थिक विविधता डिजिटल भुगतान की ओर भौगोलिक रूप से परिवर्तनशील है और कुछ क्षेत्रों में बदलाव और आर्थिक स्तर दूसरों की तुलना में डिजिटलीकरण को अधिक खुलापन प्रदान करते हैं।

iii) भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता उपयोग, और इसकी नकदी अर्थव्यवस्था के मूल पुनर्निर्माण नकदी के साथ इसके संबंध में बदलाव का संकेत देता है। इसका प्रमाण खुदरा डिजिटल भुगतानों में देखी गई तेज वृद्धि से है। नकद के तुलना में डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकृति और सुविधा भी डिजिटल भुगतान प्रति लेनदेन औसत मूल्य में कमी से परिलक्षित होती है।

iv) देश की एक बड़ी आबादी का ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत बैंक खातों और क्रेडिट लाइनों तक पहुंच नहीं बन पायी है। डिजिटल भुगतान पद्धतियों ने उनके व्यक्तिगत वित्त को प्रबंधित करने में मदद करके एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके।

v) नकद का प्रयोग अभी भी बहुत किया जा रहा है, लेकिन भुगतान करने के बजाय मूल्य को आर्थिक संपत्ति के रूप में संग्रहीत करने के तरीके के रूप में तेजी से देखा जा रहा है।

vi) गति, सुविधा और प्रतिस्पर्धा भुगतान के भविष्य को आकार दे रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।